न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3504–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, गंधवानी जिला धार प्रकरण कमांक 149/अ–68/14–15.

सदर असलम पिता सजाउद्दीन
निवासी गंधवानी जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हाजा .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, गंधवानी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी मौजा गंधवानी जिला धार द्वारा तहसीलदार, गंधवानी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक सदर असलम द्वारा ग्राम गंधवानी स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 264 रकबा 0.202 हेक्टेयर अर्थात 24x50 पर 21 कॉलम व बीम बनाकर अतिकमण किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार, गंधवानी द्वारा प्रकरण कमांक 149/अ–68/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–8–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर शासकीय भूमि सर्वे कमांक 264 नाला से लगी सर्वे कमांक 266/2 पर हो रहे निर्माण कार्य को रोके जाने के निर्देश पटवारी को दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदक की ओर से

निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि सर्वे कमांक 266/2 आवेदक की निजी भूमि है, और निजी भूमि पर निर्माण कार्य रोकने में तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि निर्माण कार्य रोके जाने से आवेदक का लाखों रूपये का मटैरियल बेकार हो रहा है । यह भी आधार लिया गया है कि निजी भूमि पर रोक लगाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । अंत में आधार लिया गया है कि आवेदक को जो सूचना पत्र जारी किया गया है, उसमें प्रश्नाधीन भूमि की नप्ती का कोई उल्लेख नहीं है, और छपे हुए फार्म में रिक्त स्थान की पूर्ति कर सूचना पत्र जारी किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार का अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्य को रोकने का अंतरिम आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है, और आवेदक द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि यदि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है, तब विवाद की बाहुलता बढ़ेगी । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, गंधवानी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर